ई–मेल / स्पीड पोस्ट

पत्रांकः 6प० / रा०वि०आ०–14 / 2019 / 11308 / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

मनोज कुमार, भा०प्र०से०

सचिव

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्,
सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक : 5/8/2026

विषयः **वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए सहभागी पंचायत विकास योजना 2026–27 तैयार करते हुए ई–पंचायत पोर्टल में डाटा प्रविष्टि किये जाने के संबंध में**

प्रसंगः विभागीय पत्रांक 10177 दिनांक 10.07.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि षष्ठम् राज्य वित्त आयोग के तहत योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण e-PanchayatPortal द्वारा किया जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से षष्ठम् राज्य वित्त आयोग के तहत नई योजनाओं की प्रविष्टि, वेंडर का पंजीकरण, Account Mapping एवं राशि का व्यय आदि कार्य किये जा रहे हैं।

2. पंचायतों का समावेशी विकास (Inclusive Development), संसाधनों के शत् प्रतिशत उपयोग एवं विभिन्न लाईन विभागों द्वारा पंचायत स्तर पर संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रम के अभिसरण (Convergance) से ही संभव है। संविधान के 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों से संबंधित सभी विभाग उपर्युक्त अभियान में समावेशी पंचायत विकास योजना तैयार करने में अपने विभाग से संबंधित Frontline Worker के माध्यम से अपनी सहभागिता प्रदान करेंगे तथा इस हेतु अपने स्तर से दिशा–निर्देश निर्गत करेंगे।

3. उल्लेखनीय है कि पंचायत के तीनों स्तर पर सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास का दृष्टिकोण रखते हुए पंचायतों के समावेशी विकास हेतु षष्ठम राज्य वित्त आयोग योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए पंचायत विकास योजना (GPDP/BPDP/DPDP) तैयार कर ई–पंचायत पोर्टल में डाटा प्रविष्टि किया जाना है।

4. **उक्त के आलोक में षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए दिनांक 01.04.2026 से पंचायत विकास योजना (GPDP/BPDP/DPDP) तैयार किया जाना है।**

यह कार्य 16th वित्त आयोग के तहत वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए पंचायत विकास योजना(GPDP/BPDP/DPDP) तैयार किये जाने हेतु

D:\MS EXCEL\MS Excel\Budget\Amrit\Letter.docx351

P.T.O —

निर्धारित अवधि दिनांक 15.08.2026 से पूर्व पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद उपर्युक्त कार्यक्रम के वरीय पदाधिकारी होंगे तथा जिला पंचायत विकास योजना (DPDP) तैयार किये जाने एवं संबंधित ई–पंचायत पोर्टल में डाटा प्रविष्टि करने हेतु नोडल पदाधिकारी होंगे।

इसी प्रकार जिला पचांयत राज पदाधिकारी प्रखण्ड पंचायत विकास योजना (BPDP) एवं ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार किये जाने एवं संबंधित ई–पंचायत पोर्टल में डाटा प्रविष्टि करने हेतु नोडल पदाधिकारी होंगे। कार्यपालक पदाधिकारी, पचांयत समिति उक्त कार्यक्रम के ससमय कार्यान्वयन एवं निष्पादन हेतु उत्तरदायी होंगे।

6. जिला पदाधिकारी के मार्गदर्शन, अनुश्रवण एवं निगरानी में पंचायत विकास योजना (GPDP/BPDP/DPDP) का कार्यान्वयन किया जायेगा। जिला पदाधिकारी इस कार्य में कोताही बरतने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए विभाग को संसूचित करेंगे।

7. अतएव उक्त के अलोक में निदेशानुसार अनुरोध है षष्ठम राज्य वित्त आयोग योजना के तहत पंचायत विकास योजना (GPDP/BPDP/DPDP) तैयार करके अनुमोदित कार्य योजना को विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि में ई–पंचायत पोर्टल पर डाटा की प्रविष्टि कर आवश्यक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि समाप्त होने के पश्चात ई–पंचायत पोर्टल पर योजना की प्रविष्टि का विकल्प नहीं दिया जाएगा।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(ह०) 3/8/26

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक : 6प०/रा०वि०आ०–14/2019/11308/पं०रा०, पटना, दिनांक 5/8/26

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(ह०) 3/8/26

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक : 6प०/रा०वि०आ०–14/2019/11308/पं०रा०, पटना, दिनांक 5/8/26

प्रतिलिपि : निदेशक, NIC, Patna/आई०टी०, मैनेजर/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–11 (अनुश्रवण कोषांग), पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशक

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(ह०) 3/8/26

(मनोज कुमार)
सचिव

D:\MS EXCEL\MS Exce\Budget\Amit\letter ...

466

ई–मेल/स्पीड पोस्ट

पत्रांक:–2प/GPDP- 18-01/2023/1017-1/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

मनोज कुमार, भा०प्र०से०

सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

बिहार।

पटना, दिनांक 10/7/2026

विषय :– **People's Plan Campaign (PPC) के तहत वार्षिक योजना प्रक्रिया के तहत वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी, अनुमोदन तथा अपलोड करने के संबंध में।**

प्रसंग :– **अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का अर्द्ध सरकारी पत्र सं०–M-11011/15/2025-CB दिनांक–18.06.2026।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रसंगाधीन अर्द्ध सरकारी पत्र के माध्यम से People's Plan Campaign (PPC) के अंतर्गत वार्षिक योजना प्रक्रिया के तहत सभी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाए तत्काल योजना प्रक्रिया प्रारंभ करने एवं निर्धारित समय सीमा के भीतर पंचायत विकास योजनाओं (GPDP/BPDP/DPDP) को तैयार करने, अनुमोदित करने और अपलोड करने का कार्य पुरा करने का निदेश दिया गया है।

2. वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए सहभागी योजना गतिविधियों के संचालन, ग्राम सभा बैठकों के आयोजन एवं सक्षम अधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने और अंतिम रूप से तैयार योजनाओं को अपलोड करने के लिए पंचायत विकास योजनाओं (GPDP/BPDP/DPDP) की समय सीमा दिनांक–19.06.2026 से दिनांक–15.08.2026 तक निर्धारित किया गया है।

अतएव उक्त के आलोक में पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के प्रसंगाधीन पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है की समयबद्ध कार्यक्रम के अनुरूप गतिविधियों का कार्यान्वयन करते हुए मंत्रालय द्वारा निर्धारित समयावधि में पंचायत विकास योजनाओं (GPDP/BPDP/DPDP) को तैयार करने, अनुमोदित करने और अपलोड करने का कार्य सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक: यथोक्त।

विश्वासभाजन

(मनोज कुमार)

सचिव

लगातार...

465

ज्ञापांक: 2प-GPDP- 18-01/2023/1011/पं०रा० पटना,दिनांक 10/7/2026
प्रतिलिपि:सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बिहार सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक: 2प-GPDP- 18-01/2023/1011/पं०रा० पटना,दिनांक 10/7/2026
प्रतिलिपि: **अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/कार्यपालक निदेशक/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी**, कृषि विभाग/स्वास्थ्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/राज्य स्वास्थ्य समिति, जल संसाधन/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/शिक्षा विभाग/समाज कल्याण विभाग/सहकारिता विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/आपदा प्रबंधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/अनुसूचित जाति एवं जन-जाति कल्याण विभाग/पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग/पशु एवं मत्स्य पालन विभाग/अल्पसंख्यक विभाग/श्रम संसाधन विभाग/उद्योग विभाग/सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग/पथ निर्माण विभाग/उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग/ऊर्जा विभाग/पर्यावरण एवं वन विभाग/Bihar Rural Livelihood Promotion Society/महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही अनुरोध है कि ग्राम पंचायत विकास योजना, प्रखण्ड पंचायत विकास योजना एवं जिला पंचायत विकास योजना में आपके विभाग से संबंधित योजनाओं को सम्मिलित कराने हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारीयों/कर्मियों को निदेशित करने की कृपा की जाये।

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक: 2प/GPDP- 18-01/2023/1017/पं०रा० पटना,दिनांक 10/7/2026
प्रतिलिपि: परियोजना निदेशक, बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
सचिव

(464)

सुशील कुमार लोहानी, आई.ए.एस.
अपर सचिव
Sushil Kumar Lohani, IAS
ADDITIONAL SECRETARY
Tel.: 23725301

पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार
टावर II, छठी मंजिल
जीवन भारती बिल्डिंग
नई दिल्ली - 110001
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
Tower II, 6th Floor
Jeevan Bharti Building
New Delhi - 110001

प्रमुख सचिव
पंचायती राज विभाग
गोपनीय कोषांग
ई-ऑफिस आवती सं. 582826
दिनांक 26/6/26

D.O. No. M-11011/15/2025-CB **Dated: 18th June, 2026**

Madam/Sir,

The Panchayat Development Plan (PDP) serves as the cornerstone of decentralized planning and participatory governance at the grassroots level. Prepared through an inclusive process involving Gram Sabhas and local stakeholders, PDPs provide the framework for addressing local development priorities and ensuring effective utilization of available resources.

2. As you are aware, the annual planning exercise under the People's Plan Campaign (PPC) is generally conducted within the prescribed planning cycle. However, owing to the incorporation of provisions arising from the recommendations of the 16th Finance Commission and the consequent updates required in the GPDP module of the eGramSwaraj Portal, the planning process for FY 2026–27 could not be initiated within the usual timeline.

3. I am pleased to inform you that the necessary modifications and technical arrangements in the eGramSwaraj Portal have now been completed. Accordingly, the planning window for preparation, approval, and uploading of Panchayat Development Plans for FY 2026–27 shall be opened on 19 June 2026.

4. Considering the time required by Panchayats for conducting participatory planning activities, convening Gram Sabha meetings, obtaining approvals from competent authorities, and uploading finalized plans, the planning window shall remain open up to 15th August 2026.

5. I request your personal intervention in ensuring that all Panchayati Raj Institutions in your State/UT initiate the planning process immediately and complete the preparation, approval, and uploading of their PDPs within the stipulated timeline. Necessary instructions may kindly be issued to the concerned departments, district administrations, and Panchayati Raj Institutions to facilitate timely compliance.

6. The active cooperation of States/UTs is essential for achieving comprehensive and quality decentralized planning. I am confident that your State/UT will extend full support in ensuring successful completion of the planning exercise within the prescribed period.

With regards,

Yours faithfully,

(Sushil Kumar Lohani)
18/6/26

The Addl. Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary
Department of Panchayati Raj & Rural Development
All States/UTs

No. W 11012/6/2026 JJM III DDWS
Government of India
Ministry of Jal Shakti
Department of Drinking Water and Sanitation
National Jal Jeevan Mission

12th Floor, 'Antyodaya' Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi - 110003
Date: June, 2026

To

1. The Additional Chief Secretary/Principal Secretary / Secretary,
   Public Health Engineering / Rural Water Supply Department,
   All States
2. The Additional Chief Secretary/Principal Secretary / Secretary,
   Panchayati Raj Department
   All States

Subject: Operationalisation of Village-Level Micro Utilities (VWSCs) under Gram Panchayats for Rural Water Supply Service Delivery-reg.

Sir/Madam,

I am directed to inform that a Joint Working Group (JWG) has been constituted under the chair of Additional Secretary, Ministry of Panchayati Raj (MoPR) and Additional Secretary, Department of Drinking Water & Sanitation (DDWS) to effectively utilise grants to local bodies.

2 Two meetings of this JWG have been held so far. Accordingly, minutes of both the meeting along with order for constitution of this group are enclosed for reference.

3. As per deliberations held during the Second Joint Working Group (JWG) Meeting on effective utilization of Finance Commission Grants held on 29.04.2026, the need to strengthen institutional mechanisms for ensuring sustained and accountable rural water supply service delivery was emphasized.

4. Further, as per the Memorandum of Understanding (MoU) signed/ being signed between DDWS and the States/UTs under JJM 2.0, States/UTs have committed to undertake key Policy, Institutional and Governance Reforms, including establishment of a dual utility framework. In this regard Clause 2.2.1 (Point No. 2) stipulates that the in-village water supply infrastructure shall be owned and managed by the Gram Panchayat (GP), which shall designate its standing committee i.e., the Village Water & Sanitation Committee (VWSC), to function as the micro service utility responsible for distribution, operation & maintenance (O&M), and service delivery within the

village, with States making enabling provisions under relevant Panchayat Acts/regulations for enabling such provisions.

5. In view of the above, all States/UTs are requested to take expeditious action to operationalise this provision by designating VWSCs as Micro Service Utilities under Gram Panchayats, making necessary amendments or notifications under relevant Panchayati Raj Acts/Rules to legally empower them, clearly defining their roles, responsibilities, and accountability for service delivery, and establishing appropriate institutional and financial mechanisms including user charges, O&M financing, and performance monitoring along with ensuring adequate capacity building and training of VWSC members and village-level functionaries for effective functioning.

6. Further, states are also requested that the Gram Panchayat Development Plans (GPDPs) from 2026 onwards shall strictly adhere to the finalised thematic activity lists for water supply and sanitation with priority given to operation and maintenance of durable WASH assets. The focus will be O&M activities rather than creation of assets. States shall strengthen planning and monthly expenditure reporting on the eGramSwaraj portal, ensuring timely and accurate submission of physical and financial data, as this is a prerequisite for release of Finance Commission grants.

7. Compliance with provisions of the JJM 2.0 MoU, including transfer of functions, funds and functionaries to Gram Panchayats for O&M, shall be closely monitored, and release of subsequent Finance Commission instalments are being linked to such compliance.

8. States/UTs are requested to furnish an Action Taken Report (ATR) on the above, including the status of enabling provisions and operationalisation of VWSCs at the earliest. DDWS shall continue to review progress in this regard during JWG meetings and other review forums.

9. This issues with the approval of Competent Authority.

Encls: As above.

Yours faithfully,

(Nitesh Kumar)
Under Secretary to the Govt. of India
E-mail: nitesh.kumar84@gov.in

Copy to:

1. Secretary, Ministry of Panchayati Raj, New Delhi.
2. The Additional Chief Secretary/Principal Secretary / Secretary, Rural Development Department, All States